13

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

9-3/2005/चार/ब-7

क्रमांकः एल-~~1/5/2003/ब-7/~~चार, भोपाल दिनांक अगस्त 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः- वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एल-1/23/2002/ब-7/चार दिनांक 30 जनवरी, 2003 (जिसमें वर्ष 2002-2003 के लिए ब्याज दरें लागू की गई थी) के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज की दरें अपरिवर्तित रखते हुऐ वर्ष 2004-05 के दौरान मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है। यह दरें 1 अप्रैल 2004 से प्रभावशील रहेगी।

अनु.	श्रेणी	ब्याज दर
1	कृषक ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंतर्गत ऋण, वन तकावी व अन्य तकावी सहित 1.चार वर्ष व इससे कम अवधि के ऋण 2 चार वर्ष से अधिक अवधि के ऋण	 9.00% 10.50%
2	प्राकृतिक विपदाओं में हुए कष्टों में राहत देने के लिये कृषको व अकृषको को ऋण	9.00%
3	(क) एक करोड से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितियों को ऋण 1. निवेश ऋण (Investment Loans) 2. नगद कमी या कार्य चालन पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (Working Capital Loans and loans to meet cash losses) (अधिकतम 5 वर्ष)	12.00% 12.00% 15.00%
~~5~~ 4	शहरी क्षेत्रों में अस्थायी जल कष्ट निवारण (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)	12.00%
6	उपद्रवों से पीडित व्यक्तियों को ऋण	9.00%
7	डाकुओं द्वारा पीडित व्यक्तियों /परिवारों को ऋण	9.00%
8	वन अधीक्षकों को बंदूक क्रय करने हेतु ऋण	12.00%
9	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एंव केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिए ऋण	10.50%
10	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थाये तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण)	12.00%
11	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है।
12	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3.00% अधिक

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को आयोजनागत ऋण कंडिका 9 में उल्लेखित दर पर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(कविम वि. भटनागर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग